न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–44/2017

CIS No.- TS 665/2018

नन्दलाल साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
26.09.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से दिनांक 08.08.2025 को एक आवेदन अंदर आदेश 13 नियम 01, 02 और 151 व्य0 प्र0 सं0 एवं धारा 74 वो 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया जिसे उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के विद्वान अधिवक्ता आवेदन दिनांक 08.08.2025 में निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के साक्ष्य में चल रहा है और प्रतिवादी अपने दावे के समर्थन में सुची के साथ दिनांक 05.12.2019 को कागजात दाखिल किए है जो अभिलेख पर उपलब्ध है तथा प्रतिवादी साक्षी सं0–04 के द्वारा साबित कर प्रदर्श चिन्हित हुआ है। मौजा–दुर्गवलिया, थाना–शिकारपुर का सर्वे नकसा कागजात दाखिल करने के समय उपलब्ध नहीं था लेहाजा दाखिल नहीं हो सका। इधर काफी खोजबीन करने के बाद भी प्रतिवादी को कागजात नहीं मिला तो प्रतिवादी ने दुबारा नकल निकाल कर दाखिल किया है। प्रस्तुत सर्वे नक्सा इस वाद के उचित निर्णय हेतु आवश्यक कागजात है। इसे दाखिल करने में प्रतिवादीगण जानबुझकर विलम्ब नहीं किये है। मौजा–दुर्गवलिया का सर्वे नक्सा सच्ची प्रतिलिपी होने के कारण लोक दस्तावेज है, इसे साबित करने के लिए किसी औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मौजा–दुर्गवलिया का सर्वे नक्सा को दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ कर इसे अभिलेख पर रखने का आदेश देते हुए प्रतिवादी सं0–01 वो 02 की ओर से प्रदर्श चिन्हित करने का आदेश देने की कृपा करें।	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–44/2017

CIS No.- TS 665/2018

नन्दलाल साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.09.2025	वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–01 वो 02 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 वो 02 द्वारा एक आवेदन दिनांक 08.08.2025 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया कि मौजा–दुर्गवलिया का सर्वे नक्सा को दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए इसे अभिलेख पर रखने का आदेश देते हुए प्रतिवादी सं0–01 वो 02 की ओर से प्रदर्श चिन्हित करने का आदेश दिया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक तथा कागजी साक्ष्यों को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए एवं संबंधित कागजात का प्रदर्श अंकित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी सं0–01 वो 02 का आवेदन दिनांक 08.08.2025 न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 द्वारा दाखिल कागजात को स्वीकृत करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 01.11.2025 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	